3. In some of the States due to the operation of the Code of Conduct after the announcement of elections no new works could be taken up.

4. Being a new scheme, it needed time to stabilise.

(c) General instructions have already been issued to the Collectors to expedite the implementation of the scheme. However, whenever delay in any specific cases is brought to the notice of the Deptt, of Programme Implementation, Govt, of India, the matter is immediately taken up with the concerned Collector/ State Govt, for necessary action. Further clarifications on some of the specific issues on which doubts had been raised have been recently issued to the Collectors, with a view to expedite the pace of implementation.

Target for Export of Steel and Iron

701. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state.

(a) the target fixed for the export of steel and iron during 1995-96.

(b) the actual achievement made in that direction;

(c) the steps taken to increase the export so that the target is achieved; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) A target of Rs. 1885 crores has been fixed by Engineering Export Promotion Council for export of iron and steel during the year 1995-96.

(b) During the period April '95-August '95 exports of iron and steel has been Rs.850 crores (Approx.)

(c) and (d) Promotion of exports has been the constant endeavour of the Government. Measures are taken to boost exports including iron and steel under the Export-Import Policy including Duty Exemption Scheme, Export Promotion Capital Goods Scheme, Special Import Licences, Duty Drawback Scheme and exemption under 80 HHC of Income Tax Act. Market Development Assistant is also provided to Engineering Export Promotion Council. In addition a new scheme called Engineering Products Export (Replenishment of iron & *M€e*\ Intermediates) Scheme has been notified by the Government on 1.3.1995.

नीम उत्पादों के पेटेंट किये जाने पर अमरीका और विकसित देशों के साथ मतभेद

702. **श्री सोमपाल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीम उत्पादों को पेटेंट कराने के विषय पर भारत का अमरीका और कुछ विकसित देशों के साथ गंभीर मतभेद है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विकसित देशो द्वारा कृषि फसलों एवं वृक्षों की बहुत सी प्रजातियों को विकसित करने के लिए भारत सहित सभी उष्ण कटि-बंधीय देशों के जीव द्रव्यों का प्रयोग किया गया है और ये विकसित देश अब इन प्रजातियों के बीजों के दाम भी वसूलना चाहते हैं तथा उनके उत्पादन और पुनः प्रसंस्करण में रुकावट डालकर रायल्टी भी चाहते है,

(घ) यदि हां, तो क्या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुदान के समक्ष अपनी बात रखी है,

(ड़) यदि हां, तो इस पर विश्व व्यापार संगठन से संबंधित विकसित तथा अविकसित देशों की क्या-क्या प्रतिक्रियाएं है, और

(घ) भारत सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी0 चिदम्बरम) : (क) और (ख) पेरेन्ट अधिनियम, 1970 में जड़ी-बूटियों, औषधीय पौधों, आदि को पेटेंट करने की अनुमति नहीं है । कतिपय विदेशी कंपनियों ने नीम के अर्क हेतु प्रक्रिया पेटेंट प्राप्त करने के लिए भारतीय पेटेंट कार्यालय में आवेदन-पत्र दाखिल किए हैं । हालांकि औषधियों तथा दवाओं को पेटेंट नहीं किया

जाता है लेकिन इन द्रव्यों के विनिर्माण की प्रक्रिया को पेटेंट किया जा सकता है।

(ग) से (च) जैव-विविधता संबंधी रियो समझौते से पहले, पौध आनुवंषिक स्रोतों को मानव जाति की सर्वसाधारण विरासत माना जाता था जिसे अनुसंसधान के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाता था । किन्तु, जैव विविधता के समझौते में, जिसका कि भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जनन द्रव्य संबंधी सार्वभौमिक अधिकारों को सुस्पष्ट किया गया है । आनुवंशिकी संसाधनों के बर्हिगमन को विनियमित करने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एक विनियामक ढांचा तैयार कर रहा है । खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ ए ओ) ने पौधा आनुवंशिक संसाधनों कें संबंध में एक आयोग का गठन किया है तो पौध आनुवंशिक संसाधनों के आदान-प्रदान के विनियमन हेतु सदस्य देशों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय वचन-पत्र तैयार कर रहा है।

Items importable under OGL without actual user condition

703. SHRI PARMESWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as per the current Export-Import Policy, there are many items importable under the Open General Licence (OGL) without Actual User (AU) condition;

(b) if so, whether such items can be imported for Stock and sale;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) if the answer to part 'b' above be in the affirmative, whether internal trading or distribution of such OGL imported items is regulated or restricted by any other Law or Policy of Government; if so, which arc those items?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) Under Paragraph 22 of the current EXIM Policy, 1992—97, capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares, parts, accessories, instruments and other goods may be imported without any restriction except to the extent such imports arc regulated by the negative List of Imports or any other provision of this Policy or any other law for the time being in force. In respect of such items which arc freely importable, no other condition, including, actual user condition is imposed under the EXIM Policy.

खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य

704. **श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 नवम्बर, 1995 के "बिजनिस स्टैण्डर्ड" में "राव डायरेक्टस फूड कारपोरेशन टू इन्टरवीन इन मार्केट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गत माहों में देश के विभिन्न अंचलों में खाद्यान्न के मूल्य खुले बाजार में बढ़ गए थे,

(ग) यदि हां, तो किस-किस- अंचल में किस-किस खाद्यान्न के मूल्य क्या-क्या थे,

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन क्षेत्रों में खाद्यान्न की कितनी-कितनी मात्रा किस-किस मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया गया है ?

खाद्य मंत्र (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जुलाई, 1995 और उसके बाद विभिन्न तारीखों को देश में विभिन्न केन्द्रों में गेहूं और चावल के थोक मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण। और ॥ में दिया गया है (नीचे देखिये)

(ख) भारतीय खाद्य निगम को 1995-96 के दौरान खुले बाजार में 55 लाख मीटरी टन गेहूं और 15 लाख मीटरी टन चावल बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

नवम्बर, 1995 माह के लिए खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री करने के लिए राज्य/केन्द्र और मूल्यों का ब्यौरा विवरण III और IV पर दिया गया है।